राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/63550–740 दिनांक :–23/07/18

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषयः–सड़को, नालियों आदि अत्यावश्यक मरम्मत व वर्षाजन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।
प्रसंग :–अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के क्रमांक निस/अमुस/नविवि/2018/937 दिनांक 21.07.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सो में मानसून सकिय हो चुका है व वर्षाजन्य कई समस्याएँ समय–समय पर उत्पन्न होती रहती है। जैसे–सड़को का टूटना, सड़को पर व आसपास खड्डे पडना, सड़को पर पानी भरना, बिजली की लाईनें व पोल इत्यादि का टूटना, सीवरेज व पानी की लाईनें ब्लॉक होना, नालों का रूकना, सीवरेज के मैनहोल पर ढक्कन नहीं होना इत्यादि। इस परिपेक्ष्य में नगरीय निकाय क्षेत्रों में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करावें :–

1. आपके अधिनस्थ समस्त क्षेत्र को कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी अभियन्ताओं में बांटा जाये व यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक अभियन्ता प्रत्येक 10 दिवस में अपने क्षेत्र की प्रत्येक गलियों, सड़को व कोलोनियों का भौतिक निरीक्षण स्वयं करें व निरीक्षण के दौरान सड़कों का टूटना, सड़को पर व आसपास गड्डे पडना, बिजली की लाईन, पोल इत्यादि टूटना, सीवरेज व पानी की लाईनें ब्लॉक होना, सीवरेज के मैनहोल खुले होना, अन्य गड्डे होना/गड्डो में पानी भरना आदि पायें जाये तो इन्हे अधिकाधिक 3 दिवस में दुरस्त किया जायें।
2. प्रत्येक नगरीय निकाय में यदि पहले से चालू नही हो तो शिकायत कन्ट्रोल केन्द्र चालू किये जाये। उक्त शिकायत कन्ट्रोल केन्द्र 24 घंटे कार्यरत रहे व इसके दूरभाष नम्बरों की जानकारी आम जनता को रहे व प्राप्त शिकायतों का त्वरित रूप से निदान किया जाये।
3. अगर उपरोक्त कार्यो के लिए पूर्व में निविदायें आमंत्रित नहीं कर रखी हो तो तत्काल निविदायें आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।
4. नालों की सफाई का कार्य जहॉ–जहॉ पूरा नही हो पाया है, शीघ्र पूरा किया जाये एवं वहॉ से कचरा तुरन्त उठाये जाने की कार्यवाही की जाये तथा नाले की मरम्मत तुरन्त की जाये, ताकि मनुष्य व पशुओं के होने वाले हादसों से बचा जा सकें।
5. वर्षा से व अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने वाली स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरूस्त कराया जाये।
6. बडे मरम्मत के कार्य वर्षा ऋतु समाप्त होने के तत्काल बाद प्रारम्भ किये जायें परन्तु अत्यावश्यक मरम्मत कार्य तत्काल किये जाये ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नही हो व कोई हादसा न हो पाये।
7. आपके अधीनस्थ समस्त अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों कों क्षेत्र भ्रमण के टारगेट निश्चित किये जावें, तदुनुसार उन्हें भी क्षेत्र भ्रमण हेतु पाबन्द किया जाये।

8. सभी अभियन्ताओं व अधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पायी गई समस्याओं/शिकायतों व किये गये मरम्मत कार्य की लगातार मोनेटरिंग की जाये व कोताही बरतने वाले अधिकारियों/अभियन्ताओं/कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायें।
9. वर्षा ऋतु में सामान्यतः ऐसे कार्य करने से बचा जायें जिनसे सड़कों, सीवरेज व पानी की लाईनों में तोड़फोड हो, पानी का प्रवाह अवरूद्ध हो या नागरिकों को असुविधा हो।
10. उक्त मरम्मत कार्यो को बजट के अभाव में स्थगित नहीं किया जायें, अपितु उपलब्ध बजट में से प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यो के लिये उपलब्ध कराया जायें।

अतः सभी समुचित उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर पालना से निदेशालय को 7 दिवस में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/63741-942 दिनांक :–23/07/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है, कि उक्त समुचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित निकाय को निर्देशित करावें।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

23/7/18
मुख्य अभियंता

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमांकः निस/अमुस/नविवि/2018/937 जयपुर, दिनांक 21.07.2018

आयुक्त,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

निदेशक,
स्वायत शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

सचिव
समस्त नगर सुधार न्यास।

परियोजना निदेशक,
राजस्थान आधारभूत विकास
परियोजना,जयपुर।

विषय :– सड़कों, नालियों आदि अत्यावश्यक मरम्मत व वर्षाजन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून आ चुका है व वर्षाजन्य कई समस्याएँ समय समय पर उत्पन्न होती रहती है। जैसे–सडकों का टूटना, सडकों पर व आसपास खड्डे पडना, सड़कों पर पानी भरना, बिजली की लाईनें व पोंल इत्यादि का टूटना, सीवरेज व पानी की लाईनें ब्लॉक होना, नालों का रूकना, सीवरेज के मैनहोल पर ढक्कन नहीं होना इत्यादि। इस परिपेक्ष्य में कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करावें :–

1. आपके अधिनस्थ समस्त क्षेत्र को विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं में बांटा जाय व यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता प्रत्येक 10 दिवस में अपने क्षेत्र की प्रत्येक गलियों, सड़को व कोलोनियों का भौतिक निरीक्षण स्वंय करें व निरीक्षण के दौरान सडकों का टूटना, सडकों पर व आसपास गड्डे पडना, बिजली की लाईन, पोल इत्यादि टूटना, सीवरेज व पानी की लाईनें ब्लॉक होना, सीवरेज के मैनहोल खुले होना, अन्य गड्डे होना/ गड्डो में पानी भरना आदि पाये जायें तो इन्हें अधिकाधिक 3 दिवस में दुरस्त किया जाये।

2. प्रत्येक ~~प्राधिकरण /नगर~~ सुधार न्यास / नगरीय निकाय आदि में यदि पहले से चालू नहीं हो तो शिकायत केंन्द्र तत्काल चालू किये जायॅ। उक्त शिकायत केन्द्र 24 घंटे कार्यरत रहे व इसके दूरभाष नम्बरों की जानकारी आम जनता को रहे व प्राप्त शिकायतों का त्वरित निदान किया जाये।

3. अगर उपरोक्त कार्यों के लिए पूर्व से निविदा आमंत्रित नहीं कर हो रखी हो तो तत्काल निविंदाऍ आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

---2

4. नालों की सफाई का कार्य जहॉ–जहॉ पूरा नहीं हो पाया है, शीघ्र पूरा किया जाये एवं वहॉ से कचरा तुरन्त उठाये जाने की कार्यवाही की जाये तथा नाले की मरम्मत तुरन्त की जाये, ताकि मनुष्य व पशुओं के होने वाले हादसो से बचा जा सके।

5. वर्षा से व अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने वाली स्ट्रीट लाइटें को शीघ्र दुरस्त कराया जाये।

6. बडी मरम्मत के कार्य वर्षा ऋतु समाप्त होने के तत्काल बाद प्रारम्भ किये जायें परन्तु अत्यावश्यक मरम्मत कार्य तत्काल किये जाये ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो व कोई हादसा न हो पायें।

7. आपके अधिनस्थ समस्त अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के टारगेट निश्चित किये जावें, तद्नुसार उन्हें भी क्षेत्र भ्रमण हेतु पाबन्द किया जाये।

8. सभी अभियन्ताओं व अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान, पायी गई समस्याओं/शिकायतों व किये गये मरम्मत कार्य की लगातार मोनटरिंग की जाये व कोताही बरतने वाले अधिकारियों/ कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

9. वर्षा ऋतु में सामान्यतः ऐसे कार्य करने से बचा जाय जिनसे कि सड़कों, सीवरेज व पानी की लाईनों में तोड़फोड़ हो, पानी का प्रवाह अवरूद्व हो या नागरिकों को असुविधा हो।

10. उक्त मरम्मत कार्यों को बजट के अभाव में स्थगित नहीं किया जाय वरन् उपलब्ध बजट प्राथमिकता से इन कार्यों के लिये उपलब्ध कराया जाये।

सभी समुचित उपरोक्तानुसार कार्यवाहीकर पालना से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव